न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी 1642-II-15

विलोपित / चिल्लो

विभूति भूषण तनय सुदामा प्रसाद तिवारी उम्र 62 वर्ष पेशा किसानी निवासी ग्प्रम कलबलिया तह0 बिरसिहपुर जिला सतना म0प्र0..प्रार्थी/निगराकार

बनाम

रमाकान्त तिवारी तनय श्री हीरा लाल तिवारी उम्र 52 वर्ष निवासी ग्प्रम कलबलिया तह0 बिरसिहपुर जिला सतना.......... ....रेस्पान्डेन्ट/ गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील विरसिंपुर के रा0प्र0क्रं0 19अ12/12-13 में पारित आदेश दिनांक 19-07-13 से परिवेदित होकर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

प्रार्थी/निगराकार निम्न बिन्दुवार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सादर विनयी है-

1- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मातहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी ने धारा 129 का0मा0 के तहत ग्प्रम कलबलिया की आराजी नं0 661 रकवा 0.045 हे0 के सीमांकन बावत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे मातहत अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीबद्ध कर हल्का पटवारी को सूचना जारी कर सीमांकन किये जाने का आदेश किया था। जिस पर हल्का पटवारी ने उपरोक्त आराजी

क्रमशः.........2

विभूतिभूषण तिवारी

(14)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R1642-II/15 जिला सतना

विशम्भरण विरूद्ध रमाकांत तिवारी

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री हिमांशु शुक्ला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त बिरसिंहपुर तहसील बिरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 19/अ12/12-13 में पारित आदेश दिनांक 19-07-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-3-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

क्रमशः.........2

विशम्भरण तिवारी